

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भरतपुर में कार्यालय एस.डी.एम., भुसावर का सहायक कर्मचारी 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 08 फरवरी, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेश चंद सहायक कर्मचारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर, जिला भरतपुर को परिवादी से 11 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी विवादित भूमि के संबंध में स्टे लगवाने की एवज में उपर्युक्त आरोपी कर्मचारी सुरेश चंद एवं एक अन्य कार्मिक जसवंत द्वारा 11 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी भरतपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी कर्मचारी सुरेश चंद को परिवादी से 11 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कार्मिक द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त कर एक अधिवक्ता चन्द्रशेखर को रिश्वत राशि में से 5 हजार रुपये दे दिये, जो मौके से बरामद किये जा चुके हैं। अधिवक्ता से इस संबंध में जाँच की जा रही है तथा आरोपी कार्मिक जसवंत मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हैल्पलाइन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।